

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची**कर याचिका सं 06 / 2019**

आयुक्त बिष्टुपुर, केंद्रीय जी.एस.टी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बाहरी सर्कल रोड,
(खरकई लिंक रोड), डाकघर- बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला:- सिंहभूम (पूर्व)

..... अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड, यूनिट- III और IV, प्लॉट नं। एम -15 और
16, फेज- VII, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां ...

..... उत्तरदाता

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति रॉंगोन मुखोपाध्याय

माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक रोशन

अपीलकर्ता के लिए : श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : मेसर्स अतुल गुप्ता, अमृता सिन्हा, अधिवक्ता

31/08/2023 को सुरक्षित रखा गया 11/12/2023 को सुनाया गया

दीपक रोशन न्याया० द्वारा - पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के तहत राजस्व द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता, पूर्व क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता (संक्षेप में "सीईएसटीएटी") द्वारा एस.टी अपील संख्या 76171/2017 और एमए

(ईएच)-75594/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 के खिलाफ राजस्व द्वारा तत्काल अपील को प्राथमिकता दी गई है।

3. शुरुआत में, निर्धारिती के विद्वान वकील ने तत्काल अपील की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह तय करने के लिए कि वर्तमान कर अपील इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है या नहीं; आक्षेपित आदेश की प्रकृति प्रासंगिक है। चूंकि यह मुद्दा एफ.ए, 1994 के तहत उत्तरदाता कंपनी की गतिविधि की "करीयता" से संबंधित है, इसलिए अपील उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है। इस प्रकार, वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है और उपाय, यदि कोई हो, सीईए, 1944 की धारा 35एल (1) (बी) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना है।

4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील के पूर्वोक्त तर्क के उत्तर में, प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में, मुद्दा शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न के निर्धारण से संबंधित नहीं है। निर्धारिती ने विभाग से भौतिक तथ्यों को छिपाकर डिजाइन सेवाओं पर देय सेवा कर का अपवंचन किया है और डिजाइन सेवाएं वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कराधेय सेवा है। विभाग ने दिनांक 16.12.2016 के मूल आदेश (संक्षेप में ओआईओ) में पहले ही कहा है कि निर्धारिती द्वारा की गई गतिविधियों के दायरे में दो भाग शामिल हैं; सबसे पहले, अपने ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों/चित्रों के अनुसार उपकरण/डाई को डिजाइन करना और दूसरा, उसका उत्पादन। उपरोक्त दो भागों में से, डिजाइनिंग पार्ट गतिविधि को अपना प्रमुख चरित्र देता है, जो सेवा कर को आकर्षित करने वाली एक कर योग्य सेवा है और उत्पादन भाग डिजाइन सेवा का परिणाम है।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2006(2) एसटीआर 438 (मद्रास)** में रिपोर्ट किए गए **तमिलनाडु कल्याण मंडपम ओनर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ** के मामले में और **आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम सीसीई एंड सी** के मामले में **कोचीन ने 2011(23) एसटीआर 433 (एससी)** में रिपोर्ट किया है कि एक से अधिक तत्वों वाली संयुक्त प्रकृति की गतिविधियों में सेवा, बिक्री आदि के मामले में, सेवा कर लगाने के लिए

राजस्व की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है यदि अन्यथा ऐसी गतिविधि पर सेवा कर देय है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील उचित और न्यायसंगत है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान कर अपील इस उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है क्योंकि यह मुद्दा शुल्क की दर या मूल्यांकन के उद्देश्य के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित नहीं है।

5. दिनांक 05.09.22 के आदेश के तहत कानूनों के निम्नलिखित प्रश्नों पर तत्काल अपील स्वीकार की गई:-

- i. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, डिजाइनिंग डाई की कथित सेवा पर कर योग्यता कानून की नजर में उचित है और क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी के तहत अपील इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य है?
- ii. क्या यदि अपील को बनाए रखने योग्य माना जाता है, तो ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देश के अनुसार डाई, मोल्ड और उपकरणों के डिजाइन और तैयारी की गतिविधि सेवा प्रदान करने के बराबर है या नहीं?
- iii. क्या निर्धारिती द्वारा 3 डाई, मोल्ड और टूल्स के डिजाइन और तैयारी की गतिविधि के लिए प्राप्त प्रतिफल राशि सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है?

6. रिकॉर्ड पर दलीलों के सरगम में पार्टियों के लिए विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, यह वर्तमान कर अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के तहत अपीलकर्ता-विभाग द्वारा दायर किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है (बाद में 'सीईए, 1944' के रूप में संदर्भित), सेवा कर कानून के लिए लागू के रूप में, अर्थात् वित्त अधिनियम के अध्याय V, 1994.

सीईए, 1944 की धारा 35जी के उपबंधों के अनुसार, अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में निहित होती है, सिवाय उन आदेशों के, जिनमें मुद्दे में उत्पाद शुल्क की दर अथवा कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण शामिल है।

दूसरे शब्दों में, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित कुजी आदेशों के खिलाफ, सीईए, 1944 की धारा 35एल के तहत सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, जिसमें मुद्दा निम्नलिखित से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित है:

- क) उत्पाद शुल्क की दर;
- ख) जन्म। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य

उपरोक्त प्रावधानों के प्रासंगिक भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"35 जी। उच्च न्यायालय में अपील - (1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके बाद अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी (अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न के अवधारण से संबंधित आदेश नहीं होने के कारण), यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

धारा 35एल जो उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में विधायी उपबंधों से संबंधित है, निम्नानुसार पठित है

35ठ. उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित से अपील की जाएगी-

(1).....

(ख) अपीलीय अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना से पहले पारित कोई आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पाद शुल्क की दर या कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न 4 के अवधारण से संबंधित है।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, शुल्क की दर से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण में मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल की कर योग्यता या उत्पाद शुल्क का निर्धारण शामिल होगा।

पूर्वोक्त प्रावधानों का अवलोकन करके यह स्पष्ट है कि धारा 35 जी (1) और 35 एल (1) (बी) प्रदान करता है कि जहां 'आदेश की प्रकृति' जिसमें 'उत्पाद शुल्क की दर

या मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, पीड़ित पक्ष को केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा। इसके अलावा, धारा 35L की उप-धारा (2) में कहा गया है कि शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न के निर्धारण में मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए माल की कर योग्यता या उत्पाद शुल्क का निर्धारण शामिल होगा।

7. जहां तक सेवा कर का संबंध है; वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के आधार पर धारा 35जी और धारा 35एल के प्रावधानों को सेवा कर कानून पर समान रूप से (जहां तक संभव हो) लागू किया गया है। एफए, 1994 की धारा 83 के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"धारा 83 1944 के अधिनियम 1 के कुजी प्रावधानों के आवेदन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के निम्नलिखित वर्गों के प्रावधान, समय-समय पर लागू के रूप में, जहां तक हो सकता है, लागू होंगे, सेवा कर के संबंध में जैसा कि वे उत्पाद शुल्क के संबंध में लागू होते हैं: -

धारा 5 ए की उपधारा (2 ए), धारा 9ए, 9एए, 9बी, 9सी, 9डी, 9ई, 11बी, 11बीबी, 11सी, 12, 12ए, 12बी, 12सी, 12डी, 1, 12ई, 14, 14, 15, 15ए, 15बी, 31, 32, 32ए से 32पी (दोनों समावेशी), 33ए, 34ए, 35ईई, 35एफ, 35एफएफ से 35-ओ (दोनों समावेशी), 35क्यू, 35आर, 36, 36ए, 36बी, 37ए, 37बी, 37सी, 37डी, 38ए और 40

8. वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह मुद्दा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या उत्तरदाता के ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार डाई, मोल्ड और उपकरण आदि तैयार करने की गतिविधि, एक सेवा होने के योग्य है और तदनुसार वित्त अधिनियम की धारा 65 (105) (जेड जेड जेड जेड डी) के तहत डिजाइन सेवाओं की श्रेणी के तहत सेवा कर के लिए योग्य है, इसलिए, एफए, 1994 की धारा 83 के साथ पठित सीईए, 1944 की धारा 35 जी और धारा 35 एल के प्रावधान के अनुसार, अपील इस उच्च न्यायालय के बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी।

उपरोक्त दृष्टिकोण को अपीलकर्ता द्वारा अपने मेमो ऑफ अपील में तैयार किए गए कानून के प्रश्न द्वारा आगे समर्थन दिया गया है, जो इस प्रकार है: "क्या ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देश के अनुसार डाई, मोल्ड और उपकरणों के डिजाइन और तैयारी की गतिविधि सेवा प्रदान करने के बराबर है या नहीं?"

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह मुद्दा इस बात से संबंधित है कि विचाराधीन गतिविधि कर योग्य है या नहीं और इस प्रकार इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 जी के साथ पठित धारा 35 एल (2) के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्जित है।

9. इस स्तर पर यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह तय करने के लिए कि वर्तमान कर अपील इस उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है या नहीं, आक्षेपित आदेश की प्रकृति प्रासंगिक है। चूंकि यह मुद्दा उत्तरदाता कंपनी की गतिविधि की "करीयता" से संबंधित है, और इसलिए अपील इस उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है। इस प्रकार, वर्तमान अपील इस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है और उपाय, यदि कोई हो, ए, 1944 की धारा 35 एल (1) (बी) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना है, इस संबंध में संदर्भ निम्नलिखित निर्णयों के लिए किया जा सकता है: - *केन्द्रीय बिक्री कर बनाम डीएलएफ गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड - 2017 (7) जीएसटीएल 202 (पंजाब और हरियाणा) - अनुच्छेद 7 से 9 - सीएसटी बनाम गेकास सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - 2015 (39) एसटीआर 980 (दिल्ली) - अनुच्छेद 6 से 8 - सेवा कर आयुक्त, कोलकाता - बनाम- कलकत्ता औद्योगिक आपूर्ति निगम, 2018 (19) जीएसटीएल 444 (कलकत्ता) - अनुच्छेद 2,3 और 5 - सेवा कर आयुक्त बनाम दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड, 2009 (16) एसटीआर 129 (दिल्ली) - सेवा कर आयुक्त बनाम अन्स्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड, 2014(34) एसटीआर 3 (दिल्ली)*

10. उपरोक्त चर्चाओं और निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि सीईए, 1944 की धारा 35एल के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, इस उच्च न्यायालय के

समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान अपील कानूनी रूप से अस्थिर है और बनाए रखने योग्य नहीं है और इस प्रकार, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

चूंकि हम इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए हमने 05.09.22 के आदेश के अनुसार तैयार किए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फैसला नहीं किया है, जिन्हें अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा उचित स्तर पर उठाया जा सकता है।

11. नतीजतन, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

(रॉगून मुखोपाध्याय, न्याया०)

(दीपक रोशन, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांकित - 11/12/2023

जे के / ए. एफ. आर

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।